

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।

फोन/फैक्स न०- 01368-222283

Web site: uttarainformation.gov.in

Email: dio.pauri@yahoo.com, districtinformation.pauri@gmail.com

प्रेस-विज्ञप्ति

सू०वि०/पौड़ी गढ़वाल/दिनांक 10 जुलाई 2013

मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आटा, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल व गैस आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारियों से खाद्यान गोदामों में राशन की स्थिति तथा वितरित और अवशेष की स्थिति स्पष्ट करने व जरूरत होने पर मांग करने के निर्देश दिये।

उक्त परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने मुख्य सचिव को जनपद के विभिन्न गोदामों में रक्षित खाद्यान/चीनी, मिट्टी तेल व गैस की स्टाक की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जनपद के विभिन्न गोदामों में वर्तमान में 17429.16 कुन्टल गेहूं, 15340.90 कुन्टल चावल, 146.50 कुन्टल चीनी, 270 ली० मिट्टी के तेल के साथ ही 635 गैस सिलेण्डर जनपद में उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध है। उन्होंने राज्य के आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्ण रूप से सड़क मार्ग से कटऑफ हो गये हैं, को माह जुलाई में प्रति पांच सदस्यों हेतु निशुल्क खाद्य सामग्री ट्रांसपोर्टेशन सहित उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। उन्होंने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र श्रीनगर तथा थलीसैण के आपदा प्रभावित 333 परिवारों जिनकी राशन कार्ड में सदस्यों की संख्या 1605 यूनिट है। इनके लिये शासनादेशानुसार 50.65 कुन्टल आटा, 50.65 कुन्टल चावल, 11.68 कुन्टल चीनी तथा 3330 ली० मिट्टी तेल निशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद के श्रीनगर आपदा प्रभावित क्षेत्र के शक्तिविहार, भक्तियाना, रेशम विभाग कालोनी, आईटीआई कालोनी, लोवर भक्तियाना, केदार मोहल्ला, महिला थाना मोहल्ला, नगर पालिका, बस अड्डा, रेवड़ी, फतेहपुररेती तथा श्रीकोट गंगनाली के प्रभावितों को निशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जानी है। इसके अलावा आपदाग्रस्त तहसील थलीसैण क्षेत्रान्तर्गत चुठाणी, शोराबांसकोट, डांग, खण्डगांव तथा पैठाणी बाजार के आपदा प्रभावितों को भी निशुल्क खाद्य सामग्री ट्रांसपोर्टेशन सहित उपलब्ध करायी जानी है।


जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि जनपद में रक्षित खाद्यान तथा चीनी की गोदामवार स्थिति निम्नानुसार है, जिनमें दुगड्डा गोदाम में 2123.65 कुन्टल गेहूं, 1281.31 कुन्टल चावल तथा 9.50 कुन्टल चीनी, पौखाल गोदाम में क्रमशः 513.87 कुन्टल गेहूं, 230 कुन्टल चावल तथा 3 कुन्टल चीनी, कांडी गोदाम में 393 कुन्टल गेहूं, 98 कुन्टल चावल तथा 3 कुन्टल चीनी, भड्ढेथ गोदाम में 865.83 कुन्टल गेहूं तथा 341 कुन्टल चावल, रिखणीखाल गोदाम में 207.49 कुन्टल गेहूं, 275.45 कुन्टल चावल, चैलूसैण गोदाम में 763.51 कुन्टल गेहूं तथा 740.35 कुन्टल चावल, गैंडखाल गोदाम में 255.41 कुन्टल गेहूं तथा 59 कुन्टल चावल, बांघाट गोदाम में 1583.58 कुन्टल गेहूं, 2573.10 कुन्टल चावल तथा 7.50 कुन्टल चीनी, देवराड़ीदेवी गोदाम में 364.74 कुन्टल गेहूं, 32 कुन्टल चावल तथा 1 कुन्टल चीनी, नौगांवखाल गोदाम में 710.95 कुन्टल गेहूं तथा 333.18 कुन्टल चावल, अमोठा गोदाम में 1382.65 कुन्टल गेहूं तथा 850 कुन्टल चावल, पाबौ गोदाम में 153.13 कुन्टल गेहूं, 1223.54 कुन्टल चावल तथा 28.50 कुन्टल चीनी, चाकीसैण गोदाम में 1267.22 कुन्टल गेहूं, 927.15 कुन्टल चावल तथा 9 कुन्टल चीनी, अधवाणी गोदाम में 779 कुन्टल गेहूं, 518 कुन्टल चावल तथा 15 कुन्टल चीनी, पौड़ी गोदाम में 3653.03 कुन्टल गेहूं, 2053 कुन्टल चावल तथा 20 कुन्टल चीनी, खोलाचौरी गोदाम में 540 कुन्टल गेहूं तथा 284 कुन्टल चावल तथा 10 कुन्टल चीनी, थलीसैण गोदाम में 553.80 कुन्टल गेहूं, 336.25 कुन्टल चावल, 12.50 कुन्टल चीनी,

२११- --

जडाऊखांद गोदाम में 442.30 कुन्टल गेहूं, 2031.10 कुन्टल चावल तथा 27.50 कुन्टल चीनी, बीरौखाल गोदाम में 150.20 कुन्टल गेहूं, 137.50 कुन्टल चावल, उफरैखाल गोदाम में 331 कुन्टल गेहूं तथा 513 कुन्टल चावल के अलावा श्रीनगर खाद्यान गोदाम में 412.80 कुन्टल गेहूं तथा 503.97 कुन्टल चावल स्टाक में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में 270 लीटर मिट्टी तेल तथा 635 गैस सिलेण्डर भी गोदामों में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने अगवत कराया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में तहसील श्रीनगर व थलीसैण में आयी दैवीय आपदा बाढ़ प्रभावित परिवारों हेतु आटा, चावल, चीनी, मिट्टी तेल, गैस प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करायें ताकि माह जुलाई में ही प्रभावित परिवारों को निशुल्क खाद्यान सामग्री यथासमय वितरण करवायी जा सके।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रेश कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की 36-यमकेश्वर, 37-पौड़ी (अ.जा.), 38-श्रीनगर, 39-चौबट्टाखाल, 40-लैसडौन एवं 41-कोटद्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का 15 जून 2013 से 15 जुलाई 2013 तक घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाना था परन्तु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अतिवृष्टि एवं दैवीय आपदा के कारण निर्वाचक नामावलियों के सत्यापन कार्य में आंशिक परिवर्तन किया गया है। जानकारी देते हुए अवगत कराया गया है कि अब घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन संबन्धी कार्य 15 जुलाई से 14 अगस्त 2013 तक किया जायेगा।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित करवाये जाने की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2013 विद्यमान होगी तथा बीएलओ को सही प्रविष्टि बताकर त्रुटि को शुद्ध करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता का पहचान पत्र अशुद्ध बना हो तो उसे शुद्ध करवाने हेतु बीएलओ से प्रारूप-8 प्रपत्र भरकर उसमें मतदाता अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगाकर आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (भाग-2 संसद के अधिनियम) की धारा-23 के अन्तर्गत उक्त तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।


प्रभारी जिला सूचना अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।